पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र विपक्षी /रेस्पोंडेन्ट

4/5/22 संख्या-1 दिनांक 17/09/2021 के अनुसार प्रस्तुत अपील में वर्णित विवादकों के विषयक अपीलार्थी द्वारा एक वाद पूर्व से ही माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय छतीसगढ़ी के समक्ष जरिये प्रकरण संख्या 08/2021 घोषणात्मक डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 8/1/2021 से प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त प्रकरण में माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 16/02/2021 को विवादग्रस्त सम्पत्ति के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

प्रस्तुत अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2735 दिनांक 20/11/2020 के विरुद्ध दिनांक 15/1/2021 को प्रस्तुत की गई है।

चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बिन्दु "नामान्तरकरण" से संबंधित है जो एक सरसरी कार्यवाही होकर किन्हीं पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं करती है, अर्थात (Mutation is only a fiscal enquiry of land record)

प्रश्नगत अपील में विवादित "नामान्तकरण" पंजीकृत दस्तावेजों के अध्याधीन निष्पादित किए गए है इसलिए जब तक पंजीकृत विक्रय पत्रों की वैधता और अवैधानिकता का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता तब तक "नामान्तकरण" कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत अपील का निर्धारण प्रश्नगत नामान्तकरण से प्रभावित भूमियों के पक्षकारों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में पूर्व से नियमित वाद के विचाराधीन रहते अधिनिर्णय किया जाना समीचीन नहीं होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10-11 के अनुसार भी नियमित वाद के विचाराधीन रहते समरी ट्रायल के प्रकरणों का विचारण उचित नहीं है।

अतः प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या -1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)